



## विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2016/ 4248  
प्रति,

दिनांक : 22/1/16

प्राचार्य,  
बी.सी.जी.शिक्षा महाविद्यालय,  
सर्वे नं.42/212, नागू खेड़ी, बायपास चौराहे के पास  
जिला-देवास(म.प्र.)।

**विषय :** विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में निर्मित परिनियम क्रमांक 27 के प्रावधानान्तर्गत अस्थाई सम्बद्धता निरंतरता प्रदान करने के संबंध में।

**संदर्भ :-** महाविद्यालय का सम्बद्धता-निरंतरता आवेदन क्रमांक/49, दिनांक 02.04.2016

शिक्षा सत्र 2016-17 में नवीन संकाय/नवीन विषय/सीट संख्या वृद्धि की जाने/संबद्धता-निरंतरता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुसंधान को विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26.07.2016 एवं 02.09.2016 में प्रस्तुत किया गया, उक्त बैठकों के निर्णय के अनुसरण में महाविद्यालय को निम्न विवरणानुसार सत्र 2016-17 से शर्तों के अधीन कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में नितान्त अस्थाई संबद्धता-निरंतरता प्रदान की जाती है :-

क्रं.	पाठ्यक्रम	सीट संख्या
1	बी.एड.	100 (एन.सी.टी.ई. के अनुसार)
2	एम.एड.	50 (एन.सी.टी.ई. के अनुसार)

**शर्त :-** 1. विश्वविद्यालय के परिनियम क्रमांक 28(3) (1) के अनुसार स्नातकोत्तर स्तर हेतु 10,000/- एवं स्नातक पाठ्यक्रम हेतु रु.25,000/- इस प्रकार कुल राशि 25,000+10,000= 35,000/- (अक्षरी पैतीस हजार रुपये मात्र) की इण्डोमेंट फण्ड की धनराशि की एफ.डी.आर.कुलसचिव, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन एवं प्राचार्य के संयुक्त नाम से बनाकर मूल रसीद विश्वविद्यालय लेखा विभाग में जमा करें। यदि उपरोक्तानुसार एफ.डी.आर.पूर्व में जमा करा दी गई हो तो, रसीद प्रस्तुत करें।

उपरोक्त कर्म की पूर्ति आवश्यक रूप से अतिशिघ्र पूर्ण करें, अन्यथा सम्बद्धता-निरंतरता पर पुनः विचार किया जावेगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव

क्रमांक/अकादमिक/संबद्धता/2016/ 4249

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.शासन, भोपाल।
2. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, उज्जैन संभाग, उज्जैन।
3. निदेशक, महाविद्यालयीन विकास परिषद्, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
4. प्राचार्य, संबंधित अग्रणी महाविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय परिक्षेत्र।

दिनांक : 22/1/16

निरंतर...02



## विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2016/1498

दिनांक :- 07/03

--: सूचना :-

शिक्षा सत्र 2016-17 में नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय/आगामी कक्षा की सम्बद्धता/पु  
स्वीकृत संख्या में वृद्धि/सम्बद्धता निरंतरता प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिये प्रस्तुत आवेदन पर विच  
कर संबंधित महाविद्यालय का निरीक्षण करने हेतु माननीय कुलपतिजी द्वारा परिनियम क्रमांक 27  
अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया गया है :-

A महाविद्यालय का नाम :- बी.सी.जी.शिक्षा महाविद्यालय, देवास

B आवेदित विषय/पाठ्यक्रम :- (1) बी.एड., एम. एड.

C समिति के सदस्यों के नाम :-

01. प्रो. जे.आर.सिंह - आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, सांख्यिकी अ.शा., वि.वि., उज्जैन।
02. डॉ. राकेश ढण्ड - संकायाध्यक्ष, विद्यार्थी कल्याण विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन
03. डॉ. फोर्दर जॉन पी.जे. - प्राचार्य, स्कूल ऑफ सोशल साइंस, भोपाल

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि, वे निरीक्षण प्रतिवेदन में परिनियम 27  
एवं 28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वास्तु  
शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ प्राधिकृत, संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र भवन, क्रीड़ा परिसर  
एवं पाठ्यक्रम आर्डिनेंस तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण-पत्र के तथ  
प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट  
अनुशंसाएं अंकित करें।

संबंधित पाठ्यक्रम की मान्यता देने के लिये महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधाएँ/संसाधन के भौतिक  
सत्यापन का समस्त उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति का होगा। समिति के समस्त सदस्यों को इस निवेदन  
के साथ सूचनार्थ कि कृपया अविलम्ब उक्त महाविद्यालय का निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन एवं महाविद्यालय  
के निरीक्षण के दौरान की गई विडियोग्राफी की सी.डी. दो प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि  
उक्त महाविद्यालय को सम्बद्धता/निरंतरता दी जा सके। विडियोग्राफी के खर्च का वहन महाविद्यालय द्वारा  
ही किया जायेगा।

निरीक्षण समिति/समिति के सदस्यों का पारिश्रमिक/यात्रा भत्ता तथा समिति द्वारा प्रयुक्त  
वाहन के वास्तविक व्यय आदि की राशि का भुगतान संबंधित महाविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

आदेशानुसार

प्रो. हंघार्ज (अकादमिक)